संख्या-566/2023/1487रासनि/23-1-23/004-03(ए)/आरएसएन-एलकेओ/23

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 24 जून, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से लखनऊ मण्डल के विभिन्न जनपदों के 20 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-4854/CE-HQ1/RSN3054/LKO/2023-24, दिनांक 17.06.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार लखनऊ मण्डल के विभिन्न जनपदों के 20 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 5,91,35,000/- (रूपये पांच करोड़ इक्यानबे लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख.-3 खीरी	एस0डी0एन0पी0डी0पी0 मार्ग से चमरौधा सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	493 /2022/1025 रासनि/23-1-2022/001-50 आरएसएन/2022 दि 24.12.2022-दिनांक-24-12-2022	41.84 41.84 30.44 2.60 **39.24**	0.01	39.23	31.38
2	नि.ख.-3 खीरी	बीबीपुर त्रिकोलिया सम्पर्क मार्ग।	268 /2023/722 रासनि /23-1-2023/002-60 आरएसएन/2022 टीसी दिनांक 13.03.2023-दिनांक-13-03-2023	45.18 45.18 35.98 0.31 **44.87**	0.01	44.86	35.89
3	प्रा.ख. खीरी	नीमगांव सेहरूआ वाया मूड़ाबुजुर्ग संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	314/2021/1277 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2-दिनांक-30-11-2021	83.00 83.00 59.72 1.20 **81.80**	41.11	40.69	32.55
4	प्रा.ख. खीरी	बेला पहाड़ा सम्पर्क मार्ग।	421 /2022/840 रासनि/23-1-22/005-41 आरएसएन/2022 टीसी-दिनांक-09-11-2022	46.96 46.96 35.44 1.31 **45.65**	0.01	45.64	36.51
5	नि.ख. सीतापुर	बर्मी-महसुनिया-वजीरनगर मार्ग।	268 /2023/722 रासनि /23-1-2023/002-60 आरएसएन/2022 टीसी दिनांक 13.03.2023-दिनांक-13-03-2023	126.50 126.50 110.92 0.12 **126.38**	2.53	123.85	99.08
6	नि.ख.-1 सीतापुर	लच्छीपुर से खपूरा डामर रोड तक सम्पर्क मार्ग	268 /2023/722 रासनि /23-1-2023/002-60 आरएसएन/2022	93.93 93.93 77.78	74.75	18.68	14.94

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
			टीसी दिनांक 13.03.2023-दिनांक-13-03-2023	0.50 **93.43**			
7	प्रा.ख. सीतापुर	थानगांव-रामपुर मथरा-गोण्डा-देवरिया मार्ग	421 /2022/840 रासनि/23-1-22/005-41 आरएसएन/2022 टीसी-दिनांक-09-11-2022	273.50 273.50 212.07 0.05 **273.45**	158.63	114.82	77.70
8	प्रा.ख. हरदोई	पिहानी जंगबहादुरगंज मार्ग से सरसेमा सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	493 /2022/1025 रासनि/23-1-2022/001-50 आरएसएन/2022 दि 24.12.2022-दिनांक-24-12-2022	44.47 44.47 36.47 0.05 **44.42**	37.76	6.66	5.33
9	प्रा.ख. हरदोई	जनपद हरदोई में एच0पी0सी0 मार्ग से हिन्दूनगर सम्पर्क मार्ग	493 /2022/1025 रासनि/23-1-2022/001-50 आरएसएन/2022 दि 24.12.2022-दिनांक-24-12-2022	45.08 45.08 36.97 0.06 **45.02**	38.27	6.75	5.40
10	प्रा.ख. हरदोई	टडियावां दधनामऊ से सखौरा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	493 /2022/1025 रासनि/23-1-2022/001-50 आरएसएन/2022 दि 24.12.2022-दिनांक-24-12-2022	50.82 50.82 41.67 0.02 **50.80**	43.18	7.62	6.10
11	प्रा.ख. हरदोई	बी0पी0 मार्ग से सारीपुर छछेटा सम्पर्क मार्ग	493 /2022/1025 रासनि/23-1-2022/001-50 आरएसएन/2022 दि 24.12.2022-दिनांक-24-12-2022	63.81 63.81 52.32 0.03 **63.78**	54.21	9.57	7.66
12	प्रा.ख. हरदोई	अहिरोरी मार्ग के किमी0-11 से काईमऊ सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	493 /2022/1025 रासनि/23-1-2022/001-50 आरएसएन/2022 दि 24.12.2022-दिनांक-24-12-2022	74.79 74.79 61.33 0.03 **74.76**	63.55	11.21	8.97
13	प्रा.ख. हरदोई	गोबरहा सम्पर्क मार्ग से शाहपुर सम्पर्क मार्ग का पुनर्निमाण का कार्य	493 /2022/1025 रासनि/23-1-2022/001-50 आरएसएन/2022 दि 24.12.2022-दिनांक-24-12-2022	62.28 62.28 51.07 0.02 **62.26**	52.92	9.34	7.47
14	प्रा.ख. हरदोई	कोथावा माल मार्ग के किमी0 3 से कालका देवी मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग।	493 /2022/1025 रासनि/23-1-2022/001-50 आरएसएन/2022 दि 24.12.2022-दिनांक-24-12-2022	40.63 40.63 40.58 0.05 **40.58**	34.50	6.08	4.86
15	प्रा.ख. हरदोई	काजीपुर तिराहा से मुन्नूखेड़ा सम्पर्क मार्ग	493 /2022/1025 रासनि/23-1-2022/001-50 आरएसएन/2022 दि 24.12.2022-दिनांक-24-12-2022	70.63 70.63 57.63 0.06 **70.57**	59.99	10.58	8.46
16	प्रा.ख. हरदोई	कोथावां माल से मोहम्मदपुर सम्पर्क मार्ग	493 /2022/1025 रासनि/23-1-2022/001-50 आरएसएन/2022 दि 24.12.2022-दिनांक-24-12-2022	40.63 40.63 33.32 0.02 **40.61**	34.52	6.09	4.87
17	प्रा.ख. हरदोई	सण्डीला अतरौली मार्ग से अटसलिया मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	493 /2022/1025 रासनि/23-1-2022/001-50 आरएसएन/2022 दि 24.12.2022-दिनांक-24-12-2022	56.44 56.44 46.28 0.03 **56.41**	47.95	8.46	6.77
18	प्रा.ख. उन्नाव	समाधा सम्पर्क मार्ग।	493 /2022/1025 रासनि/23-1-2022/001-50 आरएसएन/2022 दि 24.12.2022-दिनांक-24-12-2022	147.14 147.14 119.18 0.15 **146.99**	36.79	110.20	88.16
19	प्रा.ख. उन्नाव	एम0एम0यू0 से रसीदपुर सम्पर्क मार्ग।	493 /2022/1025 रासनि/23-1-2022/001-50 आरएसएन/2022 दि 24.12.2022-दिनांक-24-12-2022	130.84 130.84 105.98 0.13 **130.71**	32.71	98.00	78.40
20	प्रा.ख. उन्नाव	जेरा से पतोलादासी वायागुलाल खेड़ा मोहकम खेड़ा नौबस्ता मार्ग	64 /2023/1356 रासनि (18)/23-1-22/001-60 आरएसएन/2022 टीसी दि 07.01.2023-दिनांक-07-01-2023	51.48 51.48 41.70 0.05 **51.43**	12.87	38.56	30.85
						कुल योग-	**591.35**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है ।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय ।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्त्र पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला रू0 5,91,35,000/- (रूपये पांच करोड़ इक्यानबे लाख पैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक "3054043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-566/2023/1487रासनि/23-1-23/004-03(ए)/आरएसएन-एलकेओ/23, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3-जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4-मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5-मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6-संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7-वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8-वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9-वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10-लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11-.नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।